संख्या- 37/2022/77-3022(003)/3/2022/001-1535

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक अक्टूबर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 मे पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि रू0 2722590840/-की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 1624/यूपीडा/08/147 दिनांक 08.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता की मद में उपलब्ध धनराशि में से धनराशि निर्गत करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक "2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय-25-यूपीडा द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' में रू0 59361.00 लाख का प्राविधान किया गया है। शासनादेश संख्या-12/2022/001-501-77-3-2022 दिनांक 18.04.2022 द्वारा रू0 1439597640/- एवं शासनादेश संख्या-32/2022/77-3022(003)/3/2022/001-1140 दिनांक 25.07.2022 द्वारा रू0 1657600000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। सम्प्रति वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु धनराशि रू0 283.90 करोड़ अवशेष है।

उक्त प्राविधानित अवशेष धनराशि में से हडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक रू0 2722590840/- (रू0 दो सौ बहत्तर करोड पच्चीस लाख नब्बे हजार आठ सौ चालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं

प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी बात बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन की उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0. 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

भवदीय,

Signed by मनोज कुमार मौर्य
Date: 06-10-2022 15:30:41
Reason: Approved

(मनोज कुमार मौर्य),
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-37/2022/77-3022(003)/3/2022/001-1535 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।

9. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य),
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।